अवलोकन

हिंदी अनुभाग का सृजन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और संघ की राजभाषा नीति के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। अनुवाद के अलावा, हिंदी अनुभाग को राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के कार्यान्वयन का काम तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए कार्यों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में, इसके अध्यक्ष अपर सचिव रैंक के अधिकारी हैं।

1. **अनुवाद कार्य**
   यह अनुभाग अंग्रेजी और हिंदी अर्थात द्विभाषी रूप में आवश्यक समझी जाने वाली सामग्री का अनुवाद करता है जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित शामिल हैं:
   - मंत्रीमंडलीय टिप्पणी
   - संसदीय आश्वासन
   - मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
   - स्थायी समिति की रिपोर्टें
   - अध्यादेश संबंधी विवरण
   - मौखिक साक्ष्य
   - अनुदान मांगें
   - समझौता ज्ञापन
   - वेबसाइट के द्विभाषीकरण संबंधी सामग्री
   - अधिसूचनाएं
   - कार्यालय ज्ञापन
   - अर्द्ध-शासकीय पत्र
   - प्रेस विज्ञप्ति
   - आरटीआई
   - नोटरियों की नियुक्ति
   - एडीआर/मध्यस्थता विधेयक
   - कुछ विषयों पर पीपीटी
   - सामान्य प्रकृति के पत्राचार

2. **राजभाषा नीति का क्रियान्वयन:**

   - राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें
   - तिमाही प्रगति रिपोर्टें गृह मंत्रालय को भेजा जाना
   - हिंदी दिवस पर हिंदी माह का आयोजन
   - हिंदी शिक्षण योजना
   - संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण
   - हिंदी कार्यशाला
   - अनुभागों का हिंदी निरीक्षण
   - अधीनस्थ कार्यालयों का हिंदी निरीक्षण
   - राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं का निर्धारण
   - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व

*****